



क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA



संदर्भ संख्या:-

Ref.No.: G0459/O.A. No. 468/2024

दिनांक:-

Date: 04.05.2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 468/2024, Sampurna Nand Vs Jay Maa Durgae Mixture Plant.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 25.04.2024 in the matter of O.A. No. 468/2024, Sampurna Nand Vs Jay Maa Durgae Mixture Plant, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid information may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,


(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.

Copy to:-

1. District Magistrate, Mirzapur for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.


Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 25.04.2024 passed by Honble NGT in the matter of OA No. 468/2024 Sampurna Nand vs. M/s Jai Maa Durga Mixture Plant & Ors.

- UPPCB had issued Show-Cause Notice to the said Stone Crushers vide Letter dated-12.01.2024, which was got received to concerned Stone Crusher on dated 20.01.2024 (Annexure-1).
- The presentation sent by the industry against show-cause notice was received on dated-31.01.2024 in the Regional Office, UPPCB, Sonbhadra (Annexure-2).
- UPPCB conducted field visit on dated 08.02.2024 to verify complying status and observed that the following major air pollution control measures have been adopted by the industry:-

S.NO.	Major Air Pollution Control measures	Installation Status	Remark and Action Taken
1.	Closed metal sheet enclosures at dust emitting points.	Yes	In the light of facts and observations found during site visit, UPPCB revoked the show-cause notice dated 12.01.2024 and allow for operation. UPPCB has imposed the environmental compensation on the said stone crusher for past violation and defaulting days, which amount has deposited by the industry.
2.	Covering of all conveyer belts.	Yes	
3.	Telescopic discharge chute or Canvas cloth / plastic drum	Yes	
4.	Wind breaking wall around the premises.	Yes	
5.	Water sprinklers at emitting point and wind breaking wall.	Yes	
6.	Smog gun and Rain Gun as dust suppression mechanism.	Yes	
7.	Height of exhaust pipe of DG Set.	Yes	

- Detail Inspection report dated-08.02.2024 is attached herewith (Annexure-3).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

Dated: 04.05.2024


04/05/2024
(U.K. Gupta)

Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra



1496
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं०

Ref. No

सेवा में,

M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT,
BHAGAUTI DEL PATHIATTA, CHUNAR,
MIRZAPUR.

दिनांक

Date 12-1-24

पंजीकृत

यह कि उद्योग M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, स्टोन ग्रेट के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि जनपद-मिर्जापुर में स्थापित आपकी स्टोन क्रशर इकाई का निरीक्षण रायुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किया गया। समिति की आख्यानसार निरीक्षण के समय उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग द्वारा प्रक्रिया से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किये बिना ही उत्पादन कार्य किये जाने के कारण आसपास के पर्यावरण एवं जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 28.12.2023 से 30.12.2023 के मध्य किये गये निरीक्षण की आख्या में समिति द्वारा स्टोन क्रशर इकाई के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31-ए यथासंशोधित के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः जनहित में जन सामान्य को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन यह आवश्यक है कि आपके औद्योगिक संयंत्र को वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु संचालित होने से रोका जाए। उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अन्तर्गत सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न उद्योग M/S JAY MAA DURGAE MIXTUR PLANT, BHAGAUTI DEL, PATHIATTA, CHUNAR, MIRZAPUR की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न आपके उद्योग के विरुद्ध उल्लंघन अवधि हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका के अनुसार रूपये 6250/- प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिराशित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत

M

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, प्राप्ति एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

M

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2)

टी सी - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

प्राप्त किया
Vivek Singh
20/1/24
9936518461

T.C. 12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

jai maa durgae mixture plant

(Bhagauti dei, chunar, mirzapur)

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

विषय: मे० जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लांट, ग्राम-भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर को जारी कारण बताओ नोटिस संदर्भ संख्या-एच०५६७१/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड मुख्यालय के संदर्भ संख्या-एच०५६७१/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उक्त क्रशर प्लांट का निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक-२८.१२.२०२३ से दिनांक-३०.१२.२०२३ के मध्य किया गया तथा पाया गया कि उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति शर्तों का अनुपालन किया जाता नहीं पाया गया तथा स्टोन क्रशर इकाईयों हेतु केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित नहीं पायी गयी। तत्क्रम में उद्योग को वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १९८१ यथासंशोधित की धारा ३१-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है।

महोदय आपको अवगत कराना है कि उद्योग परिसर में समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं स्थापित कर ली गयी हैं। प्रक्रिया उत्सर्जन से होने वाले डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु स्पिंकलर एवं एंटी स्मॉग गन स्थापित किया गया है, जिसका नियमित संचालन किया जाता है। उद्योग परिसर के चारों तरफ विण्ड ब्रेकिंग वॉल, टिन शेड से कवर्ड किया जाना एवं ग्रीन बेल्ट का समुचित विकास किया गया है, जिस संबंध में नोटिरियल शपथ-पत्र संलग्न है। उद्योग को बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति आदेश में अधिरोपित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाता है तथा अनुपालन आख्या कार्यालय में जमा कराया जाता है।

अतः निवेदन है कि उक्त के दृष्टिगत उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ को निक्षेप करने की कृपा करें।

भवदीय

संतोष कुमार सिंह


(संतोष कुमार सिंह)

पार्टनर मे० जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लांट,
मीरजापुर

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-२), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-१२.०१.२०२४ निक्षेप करने की कृपा करें।

(संतोष कुमार सिंह)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

शपथ-पत्र

समक्ष

क्षेत्रीय अधिकारी

उ० प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
सोनभद्र।

GM 447748

मैं संतोष कुमार सिंह पुत्र स्व० अलगू सिंह निवासी-ग्राम-अतरौली खुर्द, चुनार, मीरजापुर (उ० प्र०) का मूल निवासी हूँ। मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लांट, भगौतीदेई, पटिहट्टा, तहसील-चुनार, जनपद मीरजापुर का पार्टनर हूँ। उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के संदर्भ संख्या-एच०५६७१/सी-२/एन०जी०टी०-६७/एस.सी.एन./२४ दिनांक-१२.०१.२०२४ द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया है। निर्गत कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में विन्दुवार प्रति उत्तर निम्नवत है:-

1. Industry has Closed metal sheet enclosures at dust emitting points i.e. the crushers including their discharge points, screens, and the transfer points of belt conveyers.
2. Industry has Arrangements of a door with opening and closing facility for cleaning and maintenance and flexible covers at entrance and exit of the belt conveyors.
3. Industry has All opening provided for ventilation in the enclosures covered by canvas bag-filter to arrest the escaping dust.
4. Industry has Covering of all belt conveyers.
5. Industry has Silos with telescopic discharge chute for collecting, storing and delivering and truck loading the product, for controlling 'stone dust' and the reject, 'fine dust'.
6. Industry has A minimum 12 ft high metal sheet barricading or boundary wall.
7. Industry has Dust suppression by scientifically designed water sprinkling system on raw material/products at the equipment's and transfer points.
8. Industry has the metal roads inside the stone crusher premises with arrangement for regular cleaning inside the premises to avoid re-entrainment of settled dust.
9. Industry has Regular wetting of the ground through tanker mounted sprinklers/ smog guns within the premises
10. Industry has Dense Green belt along the boundary wall.

क्रमशः.....२/.....पर

संतोष कुमार सिंह

Ticket Rs. 10.00

Ranjeet Singh
Notary - Sonbhadra



1042

दिनांक तिथि 24.1.2024

मिस्टर प्लसट

श्री साहूजी पार्ल - सन्तोष कुमार सिंह निवासी

100/-

गाम - अजयपुर, कुमाय मिलापुर

विशेषता
100/-
100/-

सन्तोष कुमार सिंह

सन्तोष कुमार सिंह


साहूजी

24.1.24

Santosh Kumar Singh
Identified by shri. [Signature]
appeared before me on 24.1.24
I have verified that he
understands the contents mentioned in
the affidavit and that they are true and correct
to the best of his knowledge and belief.
And I have administered oath to him.

Notary


367



11. Industry has the dust extraction system installed by the stone crushers at dust containment enclosures to extract the accumulated dust fitted with adequate dust control system.
12. Industry has the arrangements to minimize the generation of dust emissions during loading, unloading, handling and storage of raw material / products, waste or byproducts.
13. Industry has Arrangement of Covering while transportation and storage of final product / material.
14. Industry has the stretches of the main highways passing in the vicinity of the stone crushers area are metalled
15. Industry has the approach and link roads in the stone crushers area are metalled.
16. Industry has Quarterly Ambient Air Monitoring through third party.
17. Industry has maintain logbook of consumed electricity for measurement of quantity of water consumption.

महोदय आपसे निवेदन है कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक-12.01.2024 को निरस्त करने की कृपा करें। मेरे द्वारा उपरोक्त क्र0सं0 01 से 17 तक पर दी गयी सूचनाये पूर होशोंहवाश मे दी गयी है तथा इसमें कोई तथ्य छिपाया नही गया है। ईश्वर मेरी मदद करें।

दिनांक-30.01.2024



ह0 शपथग्राही

संतोष कुमार सिंह
(संतोष कुमार सिंह)
मे0 जय माँ दुर्गे मिक्कर प्लांट,
मीरजापुर



क्षेत्रीय कार्यालय
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
सोनभद्र



पत्रांक:- G/113/OA No-521/ S.C./2024

दिनांक: 08/02/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-2),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी०सी० 12, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय:- मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लाण्ट, ग्राम-भगवतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रश्नगत उद्योग के विरुद्ध राज्य बोर्ड के पत्र संख्या-H05671/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उद्योग द्वारा प्रेषित अपने प्रत्यावेदन के माध्यम से उक्त कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु अनुरोध किया गया है। प्राप्त प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड के अधिकारियों द्वारा उक्त सन्दर्भित उद्योग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक-08.02.2024 को किया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है। निरीक्षण आख्या में निहित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सन्दर्भित उद्योग मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लाण्ट, ग्राम-भगवतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर 113 दिनों की डिफाल्टर अवधि हेतु रू० 7,06,250.00 धनराशि की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये उद्योग के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-H05671/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के साथ निक्षेपित किये जाने की संस्तुति की जाती है:-

- I. उद्योग पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि उद्योग द्वारा निर्धारित समयावधि में राज्य बोर्ड के खाते में जमा किया जाय।
- II. उद्योग का संचालन प्रारम्भ होने पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण एन०ए०बी०एल० एक्रिडेटेड प्रयोगशाला अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर एक माह के अन्दर आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
- III. उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन एवं रख-रखाव इस प्रकार से किया जाये जिससे कि परिवेशीय वायु गुणता सदैव बोर्ड द्वारा निर्धारित मानको के अनुरूप रहे तथा आस-पास के वातावरण व जन स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
- IV. उद्योग स्थल के एक तिहाई भू-भाग पर ऊँचे, घने एवं प्रदूषणरोधी किस्म के पौधों की हरित पट्टिका 03 माह के अन्दर विकसित की जाये एवं तत्सम्बन्ध में राज्य बोर्ड को सूचित किया जाय।
- V. उद्योग द्वारा मा० एन०जी०टी० के उक्त प्रकरण में जारी आदेश/निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
- VI. उद्योग द्वारा वाटर स्प्रिंकलिंग में विद्युत की खपत हेतु स्थापित पृथक इनर्जी मीटर एवं जल खपत की मात्रा के मापन हेतु स्थापित इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर (वाँटर मीटर) के संचालन सम्बन्धी दैनिक लॉगबुक मेन्टेन की जाय तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाय एवं प्रत्येक त्रैमासिक राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाय।
- VII. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु कुल रू० 50000.00 (रूपया पचास हजार) मात्र की बैंक गारण्टी राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


08/02/2024
(यू०के० गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लाण्ट, ग्राम-भगवतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31'ए' के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्राप्त प्रत्यावेदन के अनुक्रम में निरीक्षण आख्या:-

उक्त संदर्भित उद्योग मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य प्रकरण में आच्छादित है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन हेतु जिलास्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023 से दिनांक-30.12.2023 तक के मध्य की अवधि में किया गया था। तत्क्रम में निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त उद्योग मेसर्स जय माँ दुर्गे मिक्चर प्लाण्ट, ग्राम-भगवतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर के विरुद्ध राज्य बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के संदर्भ संख्या-H05671/C-2/NGT-67/SCN/24 दिनांक-12.01.2024 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31-ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जो उद्योग को सम्बोधित एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र को पृष्ठांकित है। तत्पश्चात् उद्योग को निर्गत कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग को प्राप्त करायी जा चुकी है। उद्योग द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस को निक्षेपित करने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उद्योग से प्राप्त प्रत्यावेदन के सन्दर्भ में उद्योग का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक-08.02.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय पाये गये तथ्यों एवं कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

1. उक्त उद्योग ग्राम-भगवतीदेई, परगना-भगवत, तहसील-चुनार, जनपद-मीरजापुर पर स्थापित होना सूचित है। निरीक्षण के दौरान उद्योग के डग के समीप का जिओ को-ऑर्डिनेट्स 25.056860-अक्षांश एवं 82.991243-देशान्तर पाया गया।
2. उक्त उद्योग में कच्चे माल के रूप में स्टोन बोल्डर्स का प्रयोग कर विभिन्न साइज की स्टोन गिट्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग की स्टोन गिट की उत्पादन क्षमता 200 टन/घण्टा सूचित है।
3. निरीक्षण के समय पायी गयी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था का विवरण निम्नवत् है:-

- i. उद्योग के संयंत्र- निरीक्षण के समय उद्योग के संयंत्र यथा-प्राइमरी 'जॉ' क्रशर, सेकेण्ड्री 'जॉ' क्रशर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन्स, कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोर कवर्ड पाये गये। डस्ट उत्सर्जन के स्रोत यथा-कन्वेयर बेल्ट्स के अन्तिम छोरों पर टेलिस्कोपिक सूट के प्रतिस्थानी के रूप में कैनवास क्लथ एवं प्लास्टिक ड्रम की स्थापना निरीक्षण के समय पायी गयी।



- ii. डस्ट सप्रेसनकी व्यवस्था-

निरीक्षण के समय उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया के फलस्वरूप जनित डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उद्योग के संयंत्र यथा प्राइमरी जॉ क्रशर सेकेण्ड्री जॉ क्रशर एवं वाइब्रेटिंग स्क्रीन (झरना) पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी। उद्योग उद्योग में संयंत्रों एवं डस्ट सप्रेसन स्रोतों पर वॉटर स्प्रींकलिंग की व्यवस्था निरीक्षण के समय स्थापित पायी गयी। उद्योग में डस्ट सप्रेसन हेतु 04 स्मॉग गन स्थापित पायी गयी।

क्रमशः 2/पर....

(3)

12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-521/2022 सम्पूर्णानन्द बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के प्रकरण में उद्योग का निरीक्षण पूर्व में दिनांक-19.06.2023, 29.06.2023 एवं 01.07.2023 को जिलास्तरीय समिति द्वारा किया गया था। तत्क्रम में जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 के अनुसार उद्योग पर्याप्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थायें स्थापित किये बिना संचालित पाया गया। तत्पश्चात् जिलास्तरीय समिति द्वारा उद्योग का निरीक्षण दिनांक-28.12.2023, दिनांक-29.12.2023 एवं दिनांक-30.12.2023 को किया गया। जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.01.2024 के अनुसार उद्योग सहमति शर्तों का उल्लंघन कर संचालित पाया गया। उक्त प्रकरण में उद्योग के उत्पादन कार्य को बन्द कर उद्योग की मशीनरी को दिनांक-23.08.2023 को सील किया गया था। उक्त के पश्चात् उद्योग के उत्पादन कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिनांक-02.11.2023 को राज्य बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी, जिसके फलस्वरूप 72 दिनों की अवधि में उद्योग का उत्पादन कार्य बन्द होने का तथ्य प्रकाश में आया है। इस प्रकार जिलास्तरीय समिति की हस्ताक्षरित आख्या दिनांक-06.07.2023 से दिनांक-06.01.2024 तक अर्थात् 185 दिनों तक की अवधि में से 72 दिनों की उत्पादन कार्य बन्द होने की अवधि को छोड़कर अवशेष 113 दिनों की अवधि को डिफाल्टर अवधि में गणना किया जाना उचित है तथा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0-200/2014 एम0सी0 मेहता बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में पारित आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों दिनांक-08.02.2019 के अनुसार के अनुसार उद्योग पर डिफाल्टर अवधि अर्थात् 113 दिनों हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निम्न गणनानुसार अधिरोपित किया जाना उचित होगा:-

Environmental Compensation (EC) = Pollution Index (PI) x No. of days from which the non-compliance has been observed (N) x Factor in Rupees (R) x Factor for scale of operation(S) x Location Factor (LF).

Where,

PI=50 (Pollution Index=50 for orange category unit)

N =113 (No. of days from which the non-compliance has been observed)

R = 250 (R factor in Rupees)

S = 0.5 (Factor for scale of operation=0.5 as investment of unit is less than Rs.50 Lac(0.5 for small scale unit)

LF=1.0(Location Factor=1.0 as population of Vill. Sonpur, Bhagautidei, Chakjata etc., Chunar, Mirzapur is below 10 lac.(LF is 1.0 for population less than 10 lac)

Therefore,

Environmental Compensation (EC) = PI x N x R x S x LF

= 50 x 113 x 250 x 0.5 x 1.0

= Rs. 7,06,250/- (Rs. Seven Lacs Six Thousand Two Hundred Fifty) only.

क्रमशः 4/पर....